

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 401] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 1979/ आश्विन 11, 1901
No. 401] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 1979/ASVINA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1979

अधिसूचना

का. आ. 563(अ).—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग विकास मंत्रालय (उद्योग विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 98(अ)/आई डी आर ए/29 बी/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 5 के अन्त में निम्नलिखित मदे अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“14 शीत बोलित आकृति के सेक्शन (खण्ड)

15 हैमिल्टन खम्बे

16 नलिकादार खम्बे ।”

2. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 29ख की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामी जिसे इसके पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11-क और 13 के प्रवर्तन से छूट प्राप्त थी, और जो इस अधिसूचना के आधार पर इस प्रकार छूट नहीं है, ऐसे उपक्रम का कारबार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार ही जारी रखा जा सकेगा और राज्य सरकारों की दशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार ही जारी रखा जा सकेगा ।

[सं. 12/163/एल पी/79]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 3rd October, 1979

NOTIFICATION

S.O. 563(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, namely :—

In Schedule V of the said notification, the following items shall be inserted at the end, namely :—

“14. Cold Rolled formed section

15. Hamilton poles

16. Tubular poles.”

2. In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the said Act, the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking, which was previously exempted from the operation of section 10, 11, 11A and 13 of the said Act, and which is not so exempt by virtue of this notification, shall carry on the business of such undertaking except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of State Governments except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[No. 12/163/LP/79]

B. ROY, Jt. Secy.